न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

जमनादेवी पत्नि. स्व. हीराराम

जाति मेघवाल नि. जाखेमाना

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

ओमाराम, लालाराम पि. मेगाराम, कीजकी प. मेगाराम

पोकरराम वल्द हरिराम वगैरह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरुस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री जमना स्वयं वादी।
2. श्री प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 12-10-21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 122 रकबा 16-00 बीघा, सरहद मौजा जाखेमाना तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम मीरा होने से राजस्व रेकर्ड में मीरा दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 577390796761 जन आधार कार्ड संख्या 5 x मतदाता परिचय पत्र संख्या 0087434000055 RS23/171/ राशन कार्ड संख्या ~~एसएससी~~ जमना दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त ... कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी ने राजस्व रेकर्ड में अंकित नाम मीरा ... के स्थान पर जमना ... सही नाम ... जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:28 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ......मीरा...... के स्थान पर ......जमना...... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ......तहसीलदार पचपदरा...... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं ......122...... रकबा ......16-00...... बीघा, सरहद मौजा ......जागिनाना...... तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ......मीरा...... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार ......पचपदरा...... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ......मीरा...... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ......जमना...... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ......122...... रकबा ......16.00...... बीघा, सरहद मौजा ......जागिनाना...... वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......मीरा w/o पुत्र हीराराम...... के स्थान पर ......जमना देवी पुत्री हीराराम...... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व (माहि मेगवंशी के स्थान पर मेगवाल दर्ज करे) रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ......12-10-2021...... को कोर्ट केम्प कोर्ट ......जागिनाना...... में मजमे आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner